


31.8.22

पत्रावली पेश हुई। बादी अधिकता उपस्थित।

प्रतिवादी अधुपान्नि। बादी अधिकता की एउतरफा व हस
सुनीगई। बादी का वाद स्वीकार किया जाता है।

विमृत निर्णय पृथक से टेकन कर सलग्न पत्रावली
किया गया। निर्णय अरे इजलास हुआ।

प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम है।



प्रतिवादी

IPAS
उपखण्ड अधिकारी
गिरवा, उदयपुर